

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान
(BTER), जोधपुर से सम्बद्ध राजस्थान
के समस्त सह-शिक्षा एवं महिला
पॉलिटैक्निक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष
डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में
प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन

प्रवेश विवरणिका



सत्र 2026-27

सेंटर फॉर ई गवर्नेस, जयपुर

राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटैक्निक महाविद्यालय के समीप, झालाना इंगरी,
जयपुर-302004

नोट: यह प्रवेश विवरणिका अंतरिम है। अधिक अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट/प्रवेश पोर्टल देखें।

सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (CEG), जयपुर
 राजस्थान के समस्त सह-शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के
 प्रथम वर्ष डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन लाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु
 विवरणिका (सत्र 2026-27)

संदर्भ सूची (Index)

| क्र. सं. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|----------|--|--------------|
| 1. | प्रस्तावना | 1 |
| 2. | प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया | 1-2 |
| 3. | आवेदन पत्रों की जाँच | 2 |
| 4. | प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | 2 |
| 5. | आयु सीमा | 2 |
| 6. | प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी | 2-3 |
| 7. | योग्यता सूची (Merit List) | 3 |
| 8. | पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीट आवंटन के लिए प्रक्रिया एवं दौर (Round) | 4 |
| 9. | प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण | 5-8 |
| 10. | प्रथम आवंटन | 8 |
| 11. | रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया | 8 |
| 12. | अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना | 9 |
| 13. | द्वितीय आवंटन | 9 |
| 14. | अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना | 9 |
| 15. | इन्टरनल स्लाईडिंग | 9 |
| 16. | संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश | 10 |
| 17. | अन्य सामान्य अनुदेश | 10-11 |
| 18. | ब्रांच परिवर्तन एवं स्थानान्तरण | 11 |
| 19. | छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क | 11 |
| 20. | सारणी-1: डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में) | 12 |
| 21. | सारणी-2: छात्रावास शुल्क | 13 |
| 22. | सारणी-3: मूल ब्रांच में स्थानान्तरण | 14 |

परिशिष्टों का विवरण (इनके प्रारूप पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं)

| | |
|---------------|--|
| परिशिष्ट I | शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट II | राज्य कर्मचारी पर आश्रित भाई/बहिन के लिए शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट III | नॉन क्रीमी लेयर संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट IV | आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट V | सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र |
| परिशिष्ट VI | एकल महिला (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/35 वर्ष ज्यादा उम्र की अविवाहिता) की आश्रितों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट VII | शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (TFWS) के लिए आय के प्रमाण पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट VIII | प्रजनन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत नहीं करने बाबत घोषणा पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट IX | आय का घोषणा पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट X | SC/ST/Non Creamy Layer OBC/MBC हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप |
| परिशिष्ट XI | नाम व उपनाम में अंतर होने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप |

1. प्रस्तावना:

राज्य में वर्तमान में लगभग कुल 137 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 68 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजकीय क्षेत्र में तथा 01 केन्द्र सरकार संस्थान एवं 68 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित है। निजी क्षेत्र में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में से 04 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय “निजी सार्वजनिक सहभागिता योजना (PPP)” के अन्तर्गत संचालित है। इन समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा दी जाती है एवं प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा संबद्धता प्रदान की जाती है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार पा सकता है एवं उच्च अध्ययन के लिये इन्जीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य हो जाता है। डिप्लोमा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के रोजगार के लिये इन्डस्ट्री-इन्स्टीट्यूट इन्टरैक्शन सैल के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनियों में केम्पस प्लेसमेंट के द्वारा भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।

लार्सन एण्ड टूब्रो, एस्सार, जे.एस.डब्ल्यू, एच.सी.एल., डेन्सो, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, आयशर, होण्डा, हीरो, जे. सी.बी., सुजलोन, हिटाची, डाईकन, हीरोकार्प, पोनवेल, टाटापॉवर, बी.के. टी., वडर सीमेंट, अल्ट्राटेक, बिरला, एल.एम.जे., मारुति इत्यादि अनेक कम्पनियां केम्पस प्लेसमेंट में भाग लेती हैं।

इस विवरणिका में सह-शिक्षा एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये ऑन-लाईन आवेदन करने के विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों का समावेश किया गया है। **आवेदक इस विवरणिका का भली भांति अध्ययन कर आवेदन करें।**

प्रदेश के 23 राजकीय सह शिक्षा व महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर वह तुरन्त प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकेगा यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि।

2. प्रवेश के लिये सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया:

2.1 डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नोडल एजेन्सी “सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (CEG)”, झालाना डूंगरी, जयपुर है।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के विभिन्न इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अन्तरिम सूची (सीट मेट्रिक्स) DAP पोर्टल, कौशल दर्पण पोर्टल, BTER पोर्टल एवं CEG पोर्टल पर उपलब्ध है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। सत्र 2026 -27 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों की ब्रान्च व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश स्थानों की नवीनतम जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी।

DAP पोर्टल पर ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में संस्था व ब्रान्च का कोड भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध सीट मेट्रिक्स के संबंध में नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। तदुपरान्त ही ऑनलाईन ऑप्शन फार्म में प्रविष्टियां करें।

राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय एवं निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित होंगी। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में राज्य पोषित एवं स्व-वित्त पोषित योजना के तहत स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश किये जा रहे हैं। निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रत्येक ब्रांच में 15 प्रतिशत स्थान मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत आरक्षित हैं एवं इन पर प्रवेश संस्थान द्वारा ही नियमानुसार किया जाता है। निजी जनसहभागिता योजना (Public Private Partnership Policy) के तहत स्थापित संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा नहीं है। इनमें अध्ययन हेतु दिये जाने वाले शुल्क का विवरण सारणी – 1 पर उपलब्ध है। नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि तीन वर्ष (06 सेमेस्टर) की है एवं शुल्क प्रति सेमेस्टर लिया जायेगा। पात्र अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में मिलने वाली छूट के लिये निर्धारित प्रारूप, परिशिष्ट-I एवं II पर उपलब्ध है।

2.2 आवेदन करना:- DAP पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं ऑप्शन फार्म भरना है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन मय विकल्प पत्र शुल्क रूपये 354 /- (तीन सौ चौवन रूपये) जी.एस.टी. सहित है। आवेदन शुल्क एक बार जमा किये जाने के पश्चात ना तो वापस किया जायेगा ना ही भविष्य में किसी भी अन्य काउंसलिंग प्रक्रिया में समायोजित किया जायेगा।

3. आवेदन पत्रों की जांच :

आवेदन पत्रों की जांच उपरांत आवेदक को पोर्टल पर आवेदन पत्र में रही कमियों (यदि कोई हो तो) से अवगत कराया जायेगा। आवेदक को इन कमियों को DAP पोर्टल पर log-in कर अंतिम वरीयता सूची जारी किए जाने से पूर्व निर्धारित तिथि तक दूर करना है तथा जरूरत होने पर आवश्यक प्रमाण पत्र /दस्तावेज पुनः अपलोड करने है। यदि आवेदक के प्रमाण पत्रों में कमी की वजह से आवेदन पत्र अपूर्ण रहता है तो संयोजक द्वारा वह आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है। **इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।**

4. प्रवेश के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

- अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
- अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता का निर्धारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की नवीनतम अनुदेशिका-2020 (वेब साईट लिंक <https://rajeduboard.rajasthan.gov.in/anudeshika-etc/Anudeshika-2020.pdf>) के अनुसार किया जायेगा।

5. आयु सीमा: प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की कोई आयु सीमा नहीं है।

6. प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी:

प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा -

6.1 प्रथम प्राथमिकता श्रेणी (Preferential category 1):

निम्न मे से कोई भी एक श्रेणी के आवेदक

- आवेदक ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा राजस्थान में स्थित किसी स्कूल से नियमित अध्ययन कर उत्तीर्ण की हो |
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो |
- आवेदक राजस्थान सरकार के कर्मचारी की संतान /Spouse हो |
- आवेदक राजस्थान राज्य के बोर्ड, कांफ़ोरेशन, विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान /Spouse जिनका पदस्थापन राजस्थान मे स्थित कार्यालय मे हो |

6.2 द्वितीय प्राथमिकता श्रेणी (Preferential category- 2):

- Preferential category 1 के अतिरिक्त अन्य समस्त आवेदक Preferential category- 2 में सम्मिलित होंगे | Preferential category 1 की श्रेणीवार योग्यता सूची बनाई जाएगी तथा Preferential category- 2 के आवेदकों को इस योग्यता सूची के अन्त में (अनारक्षित श्रेणी का मानते हुए) स्थान दिया जाएगा |

7. योग्यता सूची (Merit List) बनाया जाना :-

1. डिप्लोमा (इंजीनियरिंग) के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु योग्यता सूची माध्यमिक (10 वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तंक प्रतिशत के आधार पर बनाई जाएगी |
2. अभ्यर्थियों की माध्यमिक (10 वीं) की अंक तालिका में अंकित प्रतिशत /(CGPA/GPA) को लेना है यदि उसकी अंक तालिका में प्रतिशत /(CGPA/GPA) अंकित नहीं है तो अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा | माध्यमिक परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना (CGPA/GPA) को उचित गुणांक से गुणा करने के बाद प्राप्त प्रतिशत से योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा |
3. माध्यमिक परीक्षा में CGPA/GPA प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अंको की गणना का फार्मूला (CGPA/GPA*9.5) होगा |
4. पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंतिम अंकतालिका के प्राप्तकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जायेगा |
5. अगर एक से अधिक आवेदकों की योग्यता सूची मे समान स्थान हो तब पहले जन्म तिथि (अधिक उम्र) वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी तदुपरांत भी समान होने पर पहले आवेदन करने वाले (जिसका आवेदन क्रमांक कम है) को प्राथमिकता दी जाएगी एव इस आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारण किया जाएगा |
6. उपरोक्त बिन्दु संख्या 6.1 एव 6.2 मे वर्णित प्राथमिकताओं के दृष्टिगत, मुख्य मेरिट के साथ साथ प्रत्येक आवेदित श्रेणी के अंतर्गत भी योग्यता क्रमांक निर्धारित किया जायेगा | अस्थाई मेरिट सूची DAP पोर्टल, कौशल दर्पण पोर्टल, CEG पोर्टल एवं DTE पोर्टल पर प्रकाशित कर दी जाएगी | यदि किसी अभ्यर्थी को कोई संशय हो तो निर्धारित तिथि तक DAP पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से संयोजक को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा | समस्त आपत्तियों के निराकरण के उपरांत ही अंतिम मेरिट सूची DAP पोर्टल, कौशल दर्पण पोर्टल, CEG पोर्टल एवं DTE पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी |

8. पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीट आवंटन के लिए प्रक्रिया एवं दौर (Round)

| प्रणाली | दौर (Round) | प्रवेश प्रक्रिया का विवरण |
|------------------|-------------|--|
| केन्द्रीय प्रवेश | प्रथम दौर | <ul style="list-style-type: none"> दिव्यांग जन (PH), एकल महिला आश्रित (SM) , तलाकशुदा / परित्यक्ता, सैनिकों के आश्रित (MP) को क्षैतिज आरक्षण देते हुए तथा GENERAL, SC, ST, OBC, MBC एवं EWS को ऊर्ध्वाधर आरक्षण देते हुए सीट आवंटन (प्रथम आवंटन) कश्मीरी प्रवासी (KM) आवंटन TFWS आवंटन OCI आवंटन प्रथम आवंटन के पश्चात रिपोर्टिंग फीस 1000/- ऑनलाइन जमा करके तत्पश्चात ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग के साथ ही अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन (ऐच्छिक) |
| | द्वितीय दौर | <ul style="list-style-type: none"> प्रथम दौर में रिपोर्टिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को सीट आवंटन (द्वितीय आवंटन)। इन आवेदकों को नवीन आवंटन हेतु ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना आवश्यक नहीं है। प्रथम दौर में रिपोर्टिंग के दौरान दस्तावेज जांच के आधार पर निम्नागत मेरिट परिवर्तन, श्रेणी का सामान्य परिवर्तन होने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवंटन। इन अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग फीस पुनः जमा नहीं करनी है , किन्तु ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना आवश्यक है। प्रथम आवंटन में Choice Exhausted वाले आवेदकों को आवंटन। द्वितीय आवंटन के पश्चात रिपोर्टिंग फीस 1000/- ऑनलाइन जमा करके (जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व आवंटन में रिपोर्टिंग फीस जमा नहीं करवाई है) तत्पश्चात ऑनलाइन रिपोर्टिंग |
| संस्थान स्तर | तृतीय दौर | <ul style="list-style-type: none"> प्रथम आवंटन, अपवर्ड मूवमेन्ट तथा द्वितीय आवंटन के पश्चात अंतिम रूप से आवंटित संस्था में व्यक्तीशः उपस्थित होकर मूल प्रमाण पत्र की जांच एवं शेष फीस जमा करवाना |
| | चतुर्थ दौर | <ul style="list-style-type: none"> द्वितीय दौर के आवंटन तथा रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर इन्टरनल स्लाईडिंग |
| | पंचम दौर | <ul style="list-style-type: none"> इन्टरनल स्लाईडिंग के बाद रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश तथा प्रवेक्षित छात्र/ छात्राओं के दस्तावेजों का नोडल केंद्र पर सत्यापन |

9. प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण:

9.1 श्रेणी - A: पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्नानुसार ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण निर्धारित है :

- अनुसूचित जाति (SC) के लिये 16 प्रतिशत
- अनुसूचित जनजाति (ST) के लिये 12 प्रतिशत
(उपरोक्त 12% का 45% TSP क्षेत्र के आवेदकों हेतु आरक्षित है)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 21 प्रतिशत
- अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के लिये 5 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये 10 प्रतिशत

नोट:

- ➡ सह-शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में उपरोक्त सभी वर्गों में महिला अभ्यर्थी हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) देय है |
- ➡ अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर), अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की प्रारम्भिक तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, इन श्रेणियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिये निर्धारित प्रारूप, परिशिष्ट- III में अन्डरटेकिंग देनी होगी | प्रमाण पत्र, राज्य सरकार के नियमानुसार इस अन्डरटेकिंग के साथ अधिकतम 3 वर्षों तक मान्य होगा |
- ➡ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के वर्ष 2026 -2027 के लिए जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे | वर्ष 2024 - 2025 तथा वर्ष 2025 -2026 के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार अन्डरटेकिंग (परिशिष्ट- IV) के साथ ही मान्य होंगे |

9.2 श्रेणी – B : क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) पॉलिटेक्निक संस्थानों में निम्नानुसार है :

9.2.1 श्रेणी – B1 : भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षण

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

Priority I: Widows/Wards of Defence Personnel killed in action.

Priority II: Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority III: Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority IV: Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority V: Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:

- Param Vir Chakra
- Ashok Chakra
- Maha Vir Chakra
- Kirti Chakra
- Vir Chakra

vi. Shaurya Chakra

vii. Sena, Nau Sena, Vayu Sena Medal

viii. Mention-in-Despatches.

Priority VI: Wards of Ex-Servicemen

Priority VII: Wives of :

i) Defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii) Defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii) Ex-servicemen and service personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority VIII : Wards of Serving Personnel.

Priority IX : Wives of Serving Personnel.

नोट:

➡ The domicile requirement for the wards of the defence personnel from the State of Rajasthan but serving in other State is waived off. For wards of defence personnel from other States but serving in the State of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions.

➡ आरक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी परिशिष्ट-IV में दिये गये प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं Discharge certificate and Pension Payment Order के आवश्यक 2-3 मुख पृष्ठों की स्केन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय Discharge Certificate and Pension Payment Order की मूल एवं इसकी एक स्व-प्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

➡ बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. व अन्य पुलिस कर्मियों की सन्तानों के लिये आरक्षण नहीं है। जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स को सैनिक बल माना जायेगा।

9. 2.2 श्रेणी – B2 : दिव्यांगजन के लिये आरक्षण: (Horizontal Reservation) (PH)

1. राज्य के पॉलिटिकल संस्थानों में 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों (PH) के उपलब्ध होने पर उनको प्रवेश क्षमता के पांच (5%) प्रतिशत स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर प्रवेश दिये जायेगे। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जाएंगे।

2. दिव्यांग (PH) अभ्यर्थी जो प्रवेश लेना चाहता है तो उस अभ्यर्थी को केंद्र सरकार के निम्न कार्यालय में स्वयः उपस्थित होकर अपनी निःशक्तता की जाँच करवानी होगी। फिर NCSC DA, Jaipur द्वारा डिप्लोमा की जिस ब्रांच के लिए अभ्यर्थी को पात्र माना जाता है ऐसे अभ्यर्थी सिर्फ उसी ब्रांच में प्रवेश के लिए पात्र होंगे और उन्हें NCSC DA, Jaipur द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आवेदन फॉर्म के साथ लगाना आवश्यक है।

National Career Service Centre for Differently Abled, Jaipur

4 SA 23, Surya Path, Jawahar Nagar, Jaipur – 302004

दिव्यांगों हेतु नेशनल करियर सर्विस सेंटर, जयपुर
4-स-23, सूर्य पथ , जवाहर नगर, जयपुर -302004
Contact Number: 0141-2652232
Email: vrc-jaip-rj@nic.in

9.2.3 श्रेणी –B3 : विधवा एवं तलाकशुदा महिला के आरक्षण के प्रावधान:

पॉलिटिकल महाविद्यालय में विधवा, तलाकशुदा महिला एवं अनाथ आश्रम में रहवासिनियों के उपलब्ध होने पर प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान योग्यता के आधार पर भरे जावेंगे। ये स्थान जिस श्रेणी की अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश स्थानों में से क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) के अनुसार भरे जायेंगे।

9.2.4 श्रेणी – B4: एकल महिला के बच्चों/आश्रितों के लिये आरक्षण के प्रावधान:

राज्य सरकार द्वारा एकल महिला (अर्थात विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 35 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला) के बच्चों/आश्रितों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। यह आरक्षण क्षैतिज होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट- VI पर उपलब्ध है।

9.3 श्रेणी – C: प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super Numerary) स्थानों पर प्रवेश के प्रावधान:

9.3.1 श्रेणी–C1: कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के लिये प्रवेश स्थान:

प्रत्येक पाठ्यक्रम शाखा में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 5 प्रतिशत सीटें (स्वीकृत सीटों के अलावा) कश्मीरी विस्थापितों/ कश्मीरी पंडित/ कश्मीरी हिन्दु परिवार (अविस्थापित) के बच्चों के लिये आरक्षित की जाएगी। अभ्यर्थी को इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र कि वो जम्मू कश्मीर विस्थापितों की संतान है, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

9.3.2 श्रेणी–C2: शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना (TFWS) के अंतर्गत आरक्षण :

- इस योजना के अंतर्गत जिन पाठ्यक्रमों में गत वर्ष 50% सीटें भर गई थी उनमें “स्वीकृत प्रवेश क्षमता” की 5% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।
- EWS अभ्यर्थी स्वतः ही इसके लिए पात्र हैं। अन्य वर्गों में से जिन अभ्यर्थियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख से कम है, उनको इस आरक्षण में सम्मिलित होने के लिए आय का प्रमाण परिशिष्ट VII या IX में आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना आवश्यक है। अभ्यर्थी को अंतिम आवंटित महाविद्यालय में इस प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता है तो ये सीटें अन्य किसी को आवंटित नहीं की जाएंगी।
- इस योजनान्तर्गत अभ्यर्थियों को सारणी-1 में दर्शाये गये शिक्षण शुल्क की छूट प्रदान की जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रवेशित / लाभान्वित अभ्यर्थी यदि इन्टरनल स्लाईडिंग , द्वितीय वर्ष में ब्रान्च में परिवर्तन या द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में संस्थान स्थानान्तरण करवाता है तो TFWS सीट नहीं मिलने पर TFWS योजना का लाभ देय नहीं होगा।

9.3.3 श्रेणी-C3: विदेशी नागरिक / प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) / खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों हेतु आरक्षण :

ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा अनुमोदन होने पर संस्थाओं में “स्वीकृत प्रवेश क्षमता” के अतिरिक्त अधिसंख्य (Super Numerary) 15% सीटों पर विदेशी नागरिक / प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) / खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा | इस 15% की एक तिहाई सीटें खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के बच्चों हेतु आरक्षित होंगी |

9.4 श्रेणी-D: प्रवेश कोटा

9.4.1 श्रेणी- D1: स्पोर्ट्स कोटा : अधतन तकनीकी शिक्षा खेल नीति, राजस्थान के अनुसार राजस्थान के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए खेल कोटा देय होगा ।

9.4.2 श्रेणी- D2: मैनेजमेंट कोटा : निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में डिप्लोमा प्रथम वर्ष (इंजीनियरिंग) की प्रत्येक ब्रांच में 15 प्रतिशत स्थान मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत आरक्षित हैं एवं इन पर नियमानुसार प्रवेश संस्थान द्वारा ही किया जाएगा | निजी जन सहभागिता योजना (Public Private Partnership Policy) के तहत स्थापित संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा नहीं है ।

10. प्रथम आवंटन (First Allotment):

A, B, C तथा D श्रेणियों को ऑनलाइन सीट आवंटन के साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी संस्था एवं ब्रांच का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र (Option Form) में भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा ।

यह आवंटन पूर्णतया अन्तरिम (Provisional) होगा । ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है अर्थात् choice exhausted हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित कर लिया जाएगा ।

प्रथम आवंटन में उपरोक्त सभी श्रेणियों के लिए महिला हेतु आरक्षित सीटें पहले महिला अभ्यर्थियों से, महिला अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से भरी जायेंगी। उपरोक्त में से किसी श्रेणी हेतु आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी से भरे जाएंगे ।

11. रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया:

प्रथम आवंटन के उपरान्त जिन अभ्यर्थियों को संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग फीस रूपये 1000/- (Non-Refundable but Adjustable in Fees) DAP पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाते हुए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे । इसके अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

रिपोर्टिंग पश्चात नोडल केंद्र द्वारा आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों को जांच कर अभ्यर्थी को रिपोर्टेड, कन्डिशन रिपोर्टेड या रिजेक्टेड स्टैटस अंकित किया जाएगा ।

दस्तावेजों की जांच के दौरान नोडल केंद्र द्वारा चाही गई कमिपूर्ति को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन DAP पोर्टल के माध्यम से प्रत्युत्तर अथवा डाक्युमेन्ट पूर्ति अपलोड करना होगा। नियत अवधि में कमिपूर्ति पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थी कन्डिशन रिपोर्टेड

कर दिया जाएगा तथा कमिपूर्ति आगामी चरणों में (यदि कोई हो तो) अथवा व्यक्तिशः चरण में पूर्ण करनी होंगी । इसके अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

यदि दस्तावेजों की जांच में अहर्ता स्थापित नहीं होती है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

नोटः

➡ आवंटन रिपोर्ट करते समय प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अभ्यर्थी का निम्नागत मेरिट परिवर्तन, आरक्षित श्रेणी का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन होता है तो उन्हें इस आवंटन में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा । इन अभ्यर्थियों को आगामी आवंटन में नवीन मेरिट के साथ शामिल किया जाएगा ।

➡ आवंटन रिपोर्ट करते समय प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान अभ्यर्थी का उच्चागत मेरिट परिवर्तन, सामान्य श्रेणी का आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन होता है तो उन्हें इस आवंटन में प्रवेश दिया जा सकेगा । इन अभ्यर्थियों को नयी मेरिट जारी नहीं की जाएगी ।

12. अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु आवेदन करना:

प्रथम आवंटन में आवंटित स्थान से विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिया जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेन्ट कहलाती है। अतः प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को स्थान एवं ब्रांच आवंटित हो जाती है तथा वे उच्चतर विकल्प पर प्रवेश चाहते हैं, तो रिपोर्टेड एवं कन्डिशन रिपोर्टेड स्टैटस वाले रिपोर्टिंग के दौरान अपवर्ड मूवमेन्ट हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । अपवर्ड मूवमेन्ट के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः उच्च विकल्पों पर प्रवेश के लिये द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाएगा। अपवर्ड मूवमेन्ट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा।

13. द्वितीय आवंटन (Second Allotment):

प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त रहे स्थानों पर choice exhausted, निम्नागत मेरिट परिवर्तन, श्रेणी का सामान्य श्रेणी में परिवर्तन और upward movement अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जायेगा।

द्वितीय आवंटन उपरान्त जिन अभ्यर्थियों को संस्था एवं ब्रांच आवंटित होती हैं, वे अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग फीस रूपये 1000/- (Non-Refundable but Adjustable in Fees) DAP पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन जमा (जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में रिपोर्टिंग फीस जमा नहीं करवाई है) करवाते हुए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे । इसके अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा ।

14. अंतिम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्ट करना: -

समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं ब्रांच का आवंटन हुआ है तथा के अपवर्ड मूवमेन्ट वाले अभ्यर्थियों को उन्हें अंतिम आवंटित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज एवं शेष शुल्क सहित निर्धारित अवधि में व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जायेगा।

15. इन्टरनल स्लाईडिंग (Internal Sliding):

संस्थान स्तर पर की जाने वाली इन्टरनल स्लाईडिंग के तहत ऑनलाइन काउन्सलिंग के प्रथम एवं द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों को अन्तर ब्रांच परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा। इस हेतु ब्रांचवार रिक्त रहे स्थानों की गणना कर संस्थान स्तर पर प्राप्त आवेदनों की श्रेणीवार मेरिट बनाकर इन्टरनल स्लाईडिंग की

जाएगी। शेष रहे स्थानों पर सामान्य मेरिट सूची बनाकर ब्रांच परिवर्तन किया जायेगा। स्व वित्त पोषित ब्रांच में प्रवेशित अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध राज्य पोषित ब्रांच एवं राज्य पोषित ब्रांच वाले अभ्यर्थी उसी संस्थान में उपलब्ध स्ववित्त पोषित ब्रांच में भी परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन इसके लिये नियमानुसार शुल्क देय होगा।

16. सीधे प्रवेश (Direct Admissions):

केन्द्रीय प्रवेश की समस्त प्रक्रिया उपरोक्तानुसार पूर्ण हो जाने के पश्चात संस्थानों में रिक्त रहे स्थानों के लिए संस्थानवार प्रवेश किये जायेंगे। इस हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करवा कर आवेदन की प्रक्रिया दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। निर्धारित शुल्क तथा मूल दस्तावेज लेकर संस्थान में व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। सीटों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट बनाकर किया जायेगा। प्रत्येक संस्थान के लिये निर्धारित शुल्क (सारणी -1 के अनुसार) एवं मूल दस्तावेज संस्थान में प्रवेश के दौरान जमा करवाने होंगे।

17. अन्य सामान्य अनुदेश:

प्रवेशित अभ्यर्थियों का नामांकन प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर द्वारा किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। अतः प्रवेश के साथ ही प्रवजन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेवें, जिससे नामांकन में परेशानी ना आवे। किसी अवस्था में विलम्ब के लिये संस्थान की अनुमति से परिशिष्ट- VIII में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें।

नोट:

➡ यदि अभ्यर्थी ने अंतिम परीक्षा ऐसे बोर्ड / विश्वविद्यालय से पास की है जो की प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) जारी नहीं करता है तो इसका प्रमाण संलग्न करना होगा।

- यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लेता है तथा अब वह किसी कारणवश पाठ्यक्रम जारी नहीं रखना चाहता तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार प्रवेश शुल्क/अवधान द्रव्य संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा लौटाया जायेगा।
- प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों की मूल अंकतालिका (जिसके आधार पर उसने प्रवेश प्राप्त किया है) तथा आयु प्रमाण पत्र जमाकर लिये जाएंगे। ये प्रमाण पत्र छात्र / छात्रा द्वारा प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के बाद, प्रधानाचार्य से प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अभ्यर्थी प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर से नामांकित रहते हुए किसी अन्य मण्डल या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे और न ही किसी अन्य विश्वविद्यालय में नामांकन रख सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उसका सम्बन्धित पॉलिटैक्निक महाविद्यालय से प्रवेश अविलम्ब निरस्त कर मण्डल से उसका नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें परीक्षा में अनुचित साधन के उपयोग के कारण मंडल द्वारा दंडित किया गया हो /किया जाता है तो वे अभ्यर्थी नये प्रवेश के हकदार नहीं होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारणवश प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उक्त गलती के पता होने पर, चाहे छात्र उस समय किसी भी कक्षा में अध्ययन कर रहा हो, उस का प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

- प्रवेश सम्बन्धी समस्त विषयों पर संयोजक, केन्द्रीय प्रवेश का निर्णय अन्तिम होगा। संयोजक को यह अधिकार है कि वह किसी भी अभ्यर्थी को बिना कोई कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर दे।
- प्रवेश सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार, जयपुर शहर में स्थित न्यायालय में ही होगा अन्यत्र नहीं। विवाद बिन्दु के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्मन एक माह के भीतर प्राप्त होना चाहिए।
- विद्यार्थी पर प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर के नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपस्थिति, परीक्षा, अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन आदि हेतु मण्डल के दिशा निर्देश लागू होंगे जिसकी प्रति उसे प्रवेश के समय दी जाएगी।
- अभ्यर्थी के नाम या उपनाम में अंतर होने की स्थिति में परिशिष्ट XI में शपथ पत्र आवेदन के साथ लगाना आवश्यक है।

18. ब्रांच परिवर्तन एवं स्थानान्तरण:

समस्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन छात्र/छात्रा के प्रथम वर्ष के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने एवं स्थान रिक्त होने पर संभव होंगे। स्व:वित्त पोषित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों का ब्रान्च परिवर्तन उसी संस्थान के स्व:वित्त पोषित पाठ्यक्रम में किया जा सकेगा। ये ब्रांच परिवर्तन संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) के परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित तिथि तक किये जावेंगे तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा अनुमोदित होने पर ही मान्य होंगे।

द्वितीय वर्ष में ब्रांच परिवर्तन एवं अन्य संस्था में स्थानान्तरण दोनों साथ-साथ नहीं होंगे।

राजकीय महिला एवं सह शिक्षा पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों) में द्वितीय/तृतीय वर्ष में राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

19. छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क:

- 19.1 तीन (03) राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्रों हेतु छात्रावास की सीमित सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के 22 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में भी छात्राओं हेतु अलग से छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।
- 19.2 छात्रावास में प्रवेश हेतु सम्बन्धित पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में उपस्थिति के समय, प्रधानाचार्य द्वारा आवंटन संबंधी कार्यवाही की जावेगी एवं प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को सारणी-2 में दिये गये वार्षिक शुल्क की पहली किश्त जमा करानी होगी। द्वितीय किश्त प्रधानाचार्य द्वारा सूचित तिथियों को जमा करानी होगी।
- 19.3 छात्रावास का अवधान द्रव्य व मैस अग्रिम राशि के अतिरिक्त जमा कराई गई शुल्क की राशि वापस नहीं लौटायी जायेगी।
- 19.4 निजी एवं निजी सहभागिता योजना अन्तर्गत स्थापित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्रावास सुविधा की उपलब्धता व छात्रावास शुल्क के संबंध में संबंधित संस्था से सम्पर्क करें।

सारणी-1: डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शुल्क (रुपयों में)

| क्र. सं. | मद | राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों से ली जाने वाली फीस प्रति सेमेस्टर | राजकीय संस्था के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु छात्राओं से ली जाने वाली फीस प्रति सेमेस्टर | राजकीय/निजी संस्था के स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु छात्रों/ छात्राओं से ली जाने वाली फीस प्रति सेमेस्टर |
|----------|---|--|---|---|
| 1 | राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय) | 200 | 200 | |
| 2 | शिक्षण शुल्क | 2075 | -- | 11000 |
| 3 | अराजकीय खाता: अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय) | 1000 | 500 | 7500 |
| 4 | विविध व्यय (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, ड्राईंग शुल्क व पुस्तकालय, बीमा शुल्क) | 500 | 500 | |
| 5 | पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस शुल्क) | 500 | 500 | |
| 6 | विद्यार्थी क्लब / विद्यार्थी सभा शुल्क | 250 | 250 | |
| 7 | खेलकूद शुल्क | 250 | 250 | |
| 8 | विकास शुल्क | 2075 | 2075 | 4400 |
| | कुल | 68 50 | 4275 | 22900 |

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आश्रित, जो आयकर नहीं देते/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट:

1. उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है। यदि शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा।
2. निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
3. राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा।
4. अवधान द्रव्य राशि, जो पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दिये जायेंगे।
5. सीट-आवटन पश्चात् अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार अंकित शुल्क में से केवल आंशिक शुल्क रू. 1000/- (प्रक्रिया शुल्क) जमा करवाना होगा तथा शेष शुल्क राशि अंतिम आवंटित महाविद्यालय में जमा करानी होगी।
6. विभिन्न प्रावधानों के तहत शिक्षण शुल्क में छूट के लिये आवश्यकतानुसार परिशिष्ट-I एवं II प्रस्तुत करें।
7. विद्यार्थी उपरोक्त शुल्क संस्थान द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर की निर्धारित तिथी को जमा कराये अन्यथा विद्यार्थी का नाम अस्थायी रूप से काट दिया जाएगा।

सारणी-2: छात्रावास शुल्क (वार्षिक)

| क्र. स. | मद | राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थान | | |
|---------|--|----------------------------|---------------|------|
| | | प्रथम किश्त | द्वितीय किश्त | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | (क) राजकीय खाता | | |
| 1 | कमरे का किराया | 01 सीटेड | 1600 | 1600 |
| | | 02 सीटेड | 1000 | 1000 |
| | | 03 सीटेड | 600 | 600 |
| | | 04 सीटेड | -- | -- |
| | | (ख) अराजकीय खाता | | |
| 2 | छात्रावास का अवधान द्रव्य | 2000 | --- | |
| 3 | छात्रावास मैस खर्च अग्रिम | 1500 | --- | |
| 4 | छात्रावास मैस सिक्युरिटी | --- | --- | |
| 5 | पानी के खर्च का शुल्क | * | * | |
| 6 | बिजली के खर्च का शुल्क | * | * | |
| 7 | सामान्य कोष्ठ शुल्क | 500 | 500 | |
| 8 | उपकरण व बर्तनों के क्रय व मरम्मत शुल्क | 800 | 800 | |
| 9 | कॉमन रूम (यदि उपलब्ध हो तो) | 300 | 300 | |
| 10 | वार्डन एवं वॉचमैन सुविधा शुल्क | 500 | 500 | |

* बिजली व पानी का शुल्क छात्रावास में स्थित मीटर के आधार पर बिल की राशि को सभी छात्रों में समान रूप से बांटकर वसूल किया जायेगा ।

नोट:

उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है अतः जमा कराई जाने वाली फीस व छात्रावास सुविधा के सम्बन्ध में अन्तिम सूचना संबंधित प्रधानाचार्य से प्राप्त करें ।